भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 50

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) और कोयला संभारतंत्र संबंधी अवसंरचना

50. **श्री कणाद पुरकायस्थ:**

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

श्री विनोद श्रीधर तावड़े:

श्री मनन कुमार मिश्र:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है, जिसमें आज की तिथि के अनुसार चालू की गई, कार्यान्वयनाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं की संख्या भी शामिल है;

(ख) विशेष रूप से रेल कनेक्टिविटी, यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग और कन्वेयर-आधारित परिवहन के संबंध में कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति, 2030 के अंतर्गत लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) क्या पिटहेड्स (खदान-मुहानों) से अंतिम-उपयोग वाले गंतव्यों तक कोयला पंहुचाने में किन्हीं बाधाओं की पहचान की गई है, यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बहुविध परिवहन और समर्पित रेल अवसंरचना के माध्यम से कोयला संभारतंत्र संबंधी लागतों को कम करने और कोयला पंहुचाने की क्षमता में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) कोयला प्रेषण तथा बिजली संयंत्रों और अन्य उपभोक्ता क्षेत्रों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने पर इन पहलों का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2029-30 तक कार्यान्वयन के लिए प्रति वर्ष 1,319 मिलियन टन (एमटीपीए) की क्षमता वाली 139 एफएमसी परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से लगभग 589

एमटीपीए की संचयी क्षमता वाली 72 परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि शेष 67 परियोजनाएं कार्यान्वयन, निविदा और आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) : कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति, 2030 के अंतर्गत लक्ष्यों को वित्त वर्ष 2029-30 तक उत्तरोत्तर रूप से प्राप्त किया जाएगा। प्रगति निम्नानुसार हुई है:

i. कोयला निकासी के लिए रेल अवसंरचना का विस्तार- 08 रेलवे परियोजनाओं में से, 05 परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, और शेष 03 वित्त वर्ष 2028 तक शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय ने भविष्य में कोयला निकासी के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 33 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को चिन्हित किया है।
ii. मशीनीकृत कोयला हैंडलिंग और कन्वेयर-आधारित परिवहन- 139 एफएमसी परियोजनाओं में से, 72 परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं वित्त वर्ष 2030 तक पूरी हो जाएंगी।

(ग) : पिटहेड्स से अंत्य-उपयोग वाले गंतव्यों तक कोयले की निकासी में अभिनिर्धारित प्रमुख बाधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) अपर्याप्त रेल क्षमता और कुछ उच्च-घनत्व वाले मार्गों पर भीड़-भाड़;

(ii) रेल परियोजनाओं की स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों और निष्पादन में विलंब;

(iii) रेल रेकों की उपलब्धता, नियोजन और टर्नअराउंड से संबंधित प्रचालनात्मक बाधाएं;

(iv) ट्रकों के माध्यम से कोयले की ढुलाई से संबंधित सड़क भीड़-भाड़ और पर्यावरणीय चिंताएं; तथा

(v) उपयुक्त टर्मिनलों और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी की उपलब्धता सहित रेल-समुद्र-रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय पोत परिवहन जैसे वैकल्पिक माध्यमों को तैयार करने में बाधाएं।

मंत्रालय इन मुद्दों के समाधान के लिए रेल मंत्रालय, कोयला कंपनियों, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण रेलवे और एफएमसी परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करता है।

(घ) : कोयला मंत्रालय ने रेल मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और सड़क एवं परिवहन तथा पत्तन मंत्रालय के सहयोग से एक एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक्स योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य मल्टीमॉडल परिवहन में सुधार और अंत्य उपभोक्ताओं को वितरित कोयले की समग्र लागत को कम

करने के लिए एक प्रौद्योगिकी-सक्षम, लागत-प्रभावी, लचीला लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित करना है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. कोयला निकासी और मशीनीकृत हैंडलिंग अवसंरचना विकास के लिए 33 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं (जैसे, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं) को चिन्हित करना।

ख. वित्त वर्ष 2030 तक रेलवे के माध्यम से कोयला ढुलाई के शेयर को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जिससे तुलनात्मक रूप से अधिक लागत वाली सड़क आवाजाही पर निर्भरता कम हो जाएगी।

ग. कोयला परिवहन मार्गों में विविधता लाने के लिए तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना और समग्र लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने के लिए मल्टीमॉडल परिवहन को सुव्यवस्थित करना।

घ. रेल-समुद्र-रेल (आरएसआर) मोड के माध्यम से कोयले की आवाजाही को सीआईएल द्वारा एसीक्यू से अधिक कोयला आपूर्तियों के लिए निष्पादन प्रोत्साहन (पीआई) को 40% से घटाकर 20% करके सरल बनाया जाता है, जिससे रेल-समुद्र-रेल (आरएसआर) मोड के माध्यम से लागत-प्रभावी आवाजाही को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाता है और उपभोक्ताओं के लिए समग्र लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जाता है।

(ङ) : इन पहलों ने कोयला निकासी क्षमता में वृद्धि करने, लदान दक्षता में सुधार करने और खानों से उपभोक्ताओं तक कोयले की अधिक विश्वसनीय आवाजाही में योगदान दिया है। साइलो और रैपिड लोडिंग सिस्टम के माध्यम से मशीनीकृत लोडिंग ने रेक लोडिंग समय को कम किया है, वैगन के उपयोग में सुधार किया है और पारगमन तथा हैंडलिंग घाटे को कम किया है।

कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कोयला कंपनियों और विद्युत क्षेत्र के हितधारकों के बीच रेल संपर्क के विस्तार और गहन समन्वय से विद्युत संयंत्रों तथा अन्य उपभोक्ता क्षेत्रों को निरंतर कोयला प्रेषण और समय पर आपूर्ति की सुविधा प्रदान हुई है। अतिरिक्त रेल, एफएमसी और मल्टीमॉडल अवसंरचना के विकास से रेक टर्नअराउंड में और सुधार होने की अपेक्षा है, सड़क ढुलाई पर निर्भरता कम होगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और वित्त वर्ष 2029-30 तक घरेलू कोयला उत्पादन में अनुमानित वृद्धि में सहायता मिलेगी।
